भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 7
उत्तर देने की तारीख: 14.09.2020

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

7. श्री एस॰ जगतरक्षकनः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री ए॰ के॰ पी॰ चिनराजः
श्री श्रीरंग अप्पा बारणेः
श्री कौशलेन्द्र कुमारःप्रो॰ सौगत रायः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री देवजी पटेलः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान देश भर में नई शिक्षा नीति (एनईपी) कार्यान्वित करने हेतु गंभीर कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को एनईपी के संबंध में राज्य सरकारों/शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारकों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने एनईपी पर आपत्ति जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) एनईपी को जल्दबाज़ी में कार्यान्वित करने का क्या कारण है; और
(ङ) सरकार द्वारा सभी को शिक्षा प्रदान करके शिक्षा के अधिकार को सशक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद एनईपी 2020 को अंतिम रूप दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन हेतु कई पहल और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें विभिन्न निकायों को एक समन्वित और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। तदनुसार, इस मंत्रालय ने सभी

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखकर एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कहा है। विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 सुझाव प्राप्त करने के लिए 'शिक्षक पर्व' का भी आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने "उच्चतर शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका" पर राज्यपालों/उप-राज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया है। सम्मेलन में, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। एनईपी 2020 पर विभिन्न हितधारकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ इसका व्यापक प्रचार किया गया है।

(ड.) सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यह अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। भारत सरकार ने पूर्व की तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन रद्द करके, 2018-19 से स्कूल शिक्षा की एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा की शुरूआत की है। यह योजना आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समर्थन प्रदान करती है। एनईपी 2020 में देश के सभी बच्चों को प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित गुणवत्तायुक्त समग्र शिक्षा प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुंच और किफायती अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

*****